<u>कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर</u>

क्रमांक : शिविरा–माध्य / मा–स / विविध / वो–3 / 2025 / दिनांक : As in E-Sign

समस्त संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :– विद्यार्थियों और विद्यालयी स्टाफ की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और विद्यालय भवन एवं परिसर में उपस्थित संसधानों के संरक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश।

प्रसंग :– इस कार्यालय का परिपत्र / पत्र दिनांक : 30.04.2019, 02.08.2019 एवं 15.08.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बेहतर अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक विद्यालय का स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण होता है। अतः विद्यार्थी को विद्यालय में स्वच्छ, स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना विद्यालय की प्राथमिक आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विद्यालय का वातावरण साफ, स्वच्छ एवं सुरक्षित हो। इसी क्रम में विद्यार्थियों एवं विद्यालयी स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था के मध्यनजर समय–समय पर विभिन्न आदेश / परिपत्र / पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी किये जाते रहे हैं, परन्तु फिर भी कई बार विद्यालय में सुरक्षा संबंधी आशंकाओं के नजर अंदाज कर देने , लापरवाही और सुरक्षा सम्बन्धित दायित्वों का उचित निर्वहन नहीं होने के चलते अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जो कि कई बार अत्यन्त पीड़ा दायक हो जाता है।

इसी क्रम में प्रासंगिक आदेशों / परिपत्रों / पत्रों की निरन्तरता में राज्य के समस्त शिक्षण संस्थानों (भवन एवं परिसर) के साथ विद्यार्थियों और विद्यालयी स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में अग्रांकितानुसार नवीन दिशा–निर्देश जारी किये जाते रहें हैं, इनकी निरन्तरता में निम्नांकित दिशा निर्देश समस्त विद्यालयों के पालना हेतु है। :–

<u>विद्यार्थी एवं विद्यालयी स्टाफ की सुरक्षा और संरक्षा संबंधी दिशा–निर्देश</u>

शिक्षक और विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा विद्यालय में बिताते हैं, इसलिए विद्यालय परिसर में एक अनुकूल वातावरण बनाए रखना अत्यावश्यक है, इसके अन्तर्गत विद्यालय के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित और संरक्षित रखना भी आवश्यक है। इसमे स्कूल प्रशासन, कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ–साथ छात्र–छात्राओं को किसी भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा का जवाब देने के लिए और अधिक जागरूक और तैयार रहने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी क्षति, चोट या हानि से बचा जा सके। जीवन और संपत्ति की क्षति को कम किया जा सकता है।

विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कई घटक शामिल होते हैं, जैंसे भौतिक संरचनाएं, विद्यालय भवन, खेल–मैदान, जल निकाय, विद्युत और अग्नि सुरक्षा तंत्र, स्कूल परिवहन इत्यादि।

<u>1. विद्यालय भवन सम्बन्धी निर्देश</u> :–

- विद्यालय भवन को स्थानीय अधिकृत अधिकारियों द्वारा छात्र–छात्राओं के उपयोग हेतु सुरक्षित होने के प्रमाणीकरण के उपरान्त हीं उपयोग में लिया जाना चाहिए।

- विद्यालय परिसर ज्वलनशील और विषैले पदार्थों से मुक्त होना चाहिए।
- इमारतों का उन्मुखीकरण इस तरह से होना चाहिए कि जहां तक संभव हो इमारत के चारों ओर खुली जगह के साथ–साथ उचित वायु परिसंचरण और प्रकाश की व्यापक व्यवस्था उपलब्ध हो।
- यदि आवश्यक हो तो मौजूदा स्कूल भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के साथ–साथ कक्षा कक्षों में भी एक या एक से अधिक अतिरिक्त दरवाजों की उपलब्धता निश्चित करवायी जा सकती है। दरवाजे अपर्याप्त पाए जाने पर विद्यालय के मुख्य निकास और कक्षा–कक्षों के दरवाजों का आकार बढ़ाया जा सकता है।
- रसोईघर और आग के उपयोग से जुड़ी अन्य सभी गतिविधियों को मुख्य स्कूल भवन से दूर एक सुरक्षित स्थान पर किया जाना आवश्यक है।
- बहुत से **विद्यालयों में जल स्त्रोत के रूप में जल टेंक, कुण्ड, टंकी, टांके अथवा इसी तरह की भौतिक संरचना होती है, जिसके क्षतिग्रस्त होने, पुराने जजर्र होने सूखे हुए अनुपयोगी होने अथवा जिनका बाहर से टक्कन खुला होना बड़ी दुघर्टना को आशंकित करता है। अतः समय रहते इसका समाधान आवश्यक है।**

2. कक्षा–कक्षों सम्बन्धी निर्देश :–

- कक्षा कक्षों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए उनको समय–समय पर सफेद किया जाना चाहिए और नियमित रूप से उनकी सफाई की माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। खिड़कियाँ सुरक्षित होनी चाहिए और कोई भी टूटा हुआ कांच या फिटिंग ढीली नहीं लटकी होनी चाहिए। उक्त स्थिति में कक्षा में घूमते समय बच्चों के साथ छोटी–बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है।
- विद्यालय भवन में पर्याप्त रोशनदान एवं खिड़कियों की व्यवस्था होनी चाहिये। रोशनदान के माध्यम से वातावरण में बाहर बहने वाली हवा कक्षा कक्ष को हवादार और ताजा रखती है जिससे विद्यार्थी भी शिक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ताजा और ऊर्जावान महसूस करते हैं। कक्षा कक्ष का फर्श टूटा हुआ या असमान नहीं होना चाहिए और समय–समय पर उनकी मरम्मत/रखरखाव की आवश्यकता हो सकती है।
- कक्ष की छत सुरक्षित हो, उसमें सीलन, पानी टपकना, प्लास्टर, पट्टी आदि का क्षतिग्रस्त होना दुघर्टना को आमन्त्रित करती है। अतः समय रहते इनका समाधान आवश्यक है।

3. प्रयोगशाला कक्ष सम्बन्धी निर्देश :–

- प्रयोगशाला में काम आने वाले रसायनों और उपकरणों को बच्चों की आसान पहुंच से दूर सुरक्षित रूप से निर्धारित स्थान पर रखा जाना चाहिए।
- प्रयोगशाला कक्ष मे रसायनों का इस्तेमाल किसी विज्ञ/सम्बन्धित व्यक्ति की देखरेख में ही उपयोग किया जाना चाहिए।
- प्रयोगशाला कक्ष में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स अवश्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए।
- रसायनों की वजह से बनने वाली गैसों के निकास की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
- प्रयोगशाला में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए सम्बन्धित विद्यालय के दक्ष कार्मिक को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- प्रयोगशाला कक्ष में गैस बर्नर या पाईप एवं वॉल्व में लीकेज की समय–समय पर जांच, गैस रिसाव से बचने हेतु मुख्य वॉल्व, स्टोव आदि को उपयोग करने के बाद बंद किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

4. रसोईघर सम्बन्धी निर्देश :–

- रसोईघर/स्टोर का निर्माण एक साफ–सुथरे और खुले स्थान पर किया जाना चाहिए, जिससे समग्र वातावरण भी स्वच्छ रह सकेगा।
- विद्यालय परिसर साफ–सुथरा, पर्याप्त रोशनी वाला और हवादार होना चाहिए और उसमें आवाजाही के लिए पर्याप्त खाली जगह होनी चाहिए।
- फर्श, छत और दीवारों को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाना चाहिए। वे चिकने और साफ करने में आसान होने चाहिए और उन पर पेंट या प्लास्टर नहीं उखड़ना चाहिए।
- कंटेनरों, टेबलों, मशीनरी के कामकाजी हिस्सों, आदि की सफाई की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही फफूंदी के विकास और संक्रमण से मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी बर्तनों को साफ, धोया, सुखाया और किचन कम स्टोर में संग्रहित किया जाना चाहिए।
- सभी बर्तनों को दीवारों से काफी दूर रखा जाना चाहिए।
- कुशल जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए और कूड़े के निपटान के लिए पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए।
- दूषित वस्तुओं जैसे कचरा, अपशिष्ट जल, शौचालय सुविधाएं, खुली नालियां और आवारा जानवरों को रसोई से दूर रखा जाना चाहिए।
- रसोईघर को कक्षा–कक्षाओं से उचित दूरी पर बनाया जाना चाहिए।
- जहां तक संभव हो, मध्याह्न भोजन रसोई का लेआउट ऐसा होना चाहिए कि भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में सब्जियों/अनाज/दालों आदि को धोने से संक्रमण का खतरा न हो।
- जल निकासी की सुविधा के लिए फर्श पर उचित ढलान की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- जल निकासी भोजन तैयार करने की दिशा के विपरीत दिशा में प्रवाहित होनी चाहिए। नालियों के आस–पास कीड़ों और जीव–जन्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त नियंत्रण उपाय होने चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति की समझ के लिए परिसर के एक प्रमुख स्थान पर स्थानीय भाषा में क्या करना है, क्या नहीं करना है का उल्लेख करने वाला एक डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाना चाहिए।
- रसोईघरों में उचित रूप से निर्मित चिमनी की आवश्यकता होती है।
- रसोईघर में प्रयुक्त ईंधन को सुरक्षित रूप से संग्रहित/स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि आग लगने का कोई खतरा न हो। गैस सिलेण्डर का समय समय पर जांच हो एवं सुरक्षित उपयोग हो।
- रसोई में सूर्य की रोशनी या कृत्रिम रोशनी पूरी तरह से दिखाई देनी चाहिए।
- खाना पकाने के लिए ऊंचा मंच, पर्याप्त रोशनी, उचित वेंटिलेशन और जल निकासी और अपशिष्ट निपटान की उचित व्यवस्था हो। कूड़ेदान पर ढक्कन होना चाहिए और हमेशा ढका रहना चाहिए।

5. शौचालय सम्बन्धी निर्देश :–

- शौचालय का निर्माण विद्यालय परिसर के भीतर ही किया जाना चाहिए।
- छात्र–छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय होने चाहिए।
- सभी शौचालयों में आवश्यक रूप से पानी की व्यवस्था हो जिससे शौचालय साफ–सुथरे रह सके।
- हाथ धोने के लिए साबुन आदि की उपलब्धता विद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए सभी शौचालयों में दरवाजे होने चाहिए।
- शौचालयों को प्रतिदिन साफ किया जाना चाहिए।
- यह स्थान एकांत में ना हो, जिससे असन जाने वाले पर नजर रखी जा सके साथ ही यहां लाईट की पर्याप्त व्यवस्था हो।

6. पेयजल सम्बन्धी निर्देश :–

- विद्यालय परिसर में बच्चों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- पानी की सुरक्षा/गुणवत्ता की जांच संबंधित प्राधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की जानी चाहिए।
- बहुत से **विद्यालयों में जल स्त्रोत के रूप में जल टेंक, कुण्ड, टंकी, टांके अथवा इसी तरह की भौतिक संरचना होती है, जिसके क्षतिग्रस्त होने, पुराने जजर्र होने सूखे हुए अनुपयोगी होने अथवा जिनका बाहर से टक्कन खुला होना बड़ी दुघर्टना को आशंकित करता है। अतः समय रहते इसका समाधान आवश्यक है।**

7. विद्युत प्रणाली और सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश :–

- विद्यालय में समस्त विद्युत प्रणालियों की समय–समय पर जांच की जानी चाहिए।
- विद्युत क्षेत्र तक केवल उन लोगों की ही पहुंच सुनिश्चित की जाये जिनकी आवश्यकता है।
- **बिजली की वायरिंग और प्वाइंट को व्यवस्थित रखना चाहिए, किसी भी खुले तार के पाए जाने की स्थिति में, वायरिंग को बदला जाना चाहि**ए।
- विद्युत वितरण बक्सों पर ताला लगा देना चाहिए और चाबियाँ केवल संस्था–प्रधान की देखरेख में रखनी चाहिए।
- ढीले तारों/कनेक्शनों की मरम्मत के लिए तत्काल आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
- विद्यार्थियों को बिजली के खंभों एवं तारों को न छूने की चेतावनी दी जानी चाहिए।

8. अग्नि सुरक्षा प्रबंधन सम्बन्धी निर्देश :–

- अग्नि सुरक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलू है।
- किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय में सुचारू एवं क्रियाशील अग्निशमन प्रणालियाँ एवं संसाधन होने चाहिए।
- अग्निशमन एजेंसियों की मदद से समय–समय पर स्कूल में मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए।

9. आपदा प्रबंधन सम्बन्धी निर्देश :–

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं की आशंका वाले विद्यालयों के लिए दिशा–निर्देश जारी किये हैं। यदि स्कूल भूकम्प जोखिम क्षेत्र में स्थित हैं, तो निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए :–

- प्रारंभिक प्रतिक्रिया के लिए स्कूल में एक प्रशिक्षित आपदा प्रबंधन समूह उपलब्ध होना चाहिए।
- स्कूल को प्रशिक्षण और पुर्नप्रशिक्षण के लिए स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहिए।

<u>10. खेल मैदान सम्बन्धी निर्देश</u> :–

- खेल के मैदान का रख–रखाव उचित ढंग से किया जाना चाहिए।
- बच्चों को खेलने के लिए खेल/क्रीड़ा सामग्री अवश्य मिलनी चाहिए।
- विद्यालय में चारदीवारी होनी चाहिए।
- जो स्कूल विशिष्ट खेल या शारीरिक गतिविधि प्रदान कर रहे हैं, उनमें से प्रत्येक के संबंध में उचित सुविधाएं, प्रशिक्षित स्टाफ और आवश्यक उपकरण और सामग्री प्रदान की जावे और संबंधित दिशा–निर्देशों का पालन करने की भी आवश्यकता है।
- विद्यालयों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान अनिवार्य है।
- खेल गतिविधियों में भाग लेने वाले बच्चों के लिए परामर्श सेवाओं का प्रावधान आवश्यक है।

<u>11. विद्यालय की चारदीवारी और गेट सम्बन्धी निर्देश</u> :–

- विद्यालय भवन के मुख्य द्वार की समय–समय पर जांच की जाए तथा आवश्यकतानुसार समस्या का निस्तारण किया जाए।
- विद्यालय सीमा की दीवार पर्याप्त ऊंचाई की होनी चाहिए।
- विद्यार्थी के प्रवेश और निकासी के समय से पहले विशेष निगरानी और सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए।
- विद्यार्थियों और कर्मचारियों के प्रवेश के बाद मुख्य द्वार बंद रहना चाहिए।

<u>12. विद्यालय परिसर एवं परिवेश सम्बन्धी निर्देश</u> :–

- यदि स्कूल घातक रासायनिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले किसी उद्योग या रासायनिक कारखाने के पास स्थित है, तो शिक्षक, छात्र और अन्य कर्मचारियों सहित प्रत्येक सदस्य को विभिन्न रासायनिक उत्पादों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए और इस क्षेत्र में रसायनों का रिसाव तथा उनसे होने वाली किसी भी अप्रिय घटना में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- विद्यालयी छात्र–छात्राओं की सुरक्षा के लिए प्राथमिक चिकित्सा और अन्य चिकित्सा प्रणालियां उपलब्धता होनी चाहिए।
- विद्यार्थी सहित स्कूल के प्रत्येक सदस्य को किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में समय–समय पर अवगत कराया जाना चाहिए।
- विद्यालय के निकट किसी भी मादक पदार्थ एवं धूम्रपान की दुकान को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

RajKaj Ref No.: 13714622

13. दिव्यांग बच्चों के लिए बाधा मुक्त प्रवेश सम्बन्धी निर्देश :–

- विभिन्न आवश्यकता वाले स्थानों तक पहुंच प्रदान करने के लिए रैंप का निर्माण किया जाना चाहिए।
- रैंप के दोनों ओर रेलिंग लगाई जानी चाहिए।
- दृष्टिबाधित अथवा कम देखने वाले बच्चों को विद्यालय में सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए प्रावधान किये जाने चाहिए।
- विद्यालय को ब्रेल लिपि में एक विद्यालय मानचित्र प्रदान करने का प्रावधान करना चाहिए, जिसमें कक्षाओं, कॉमन रूम, पुस्तकालय, शौचालय आदि सहित सभी सुविधाएं शामिल हों, जिन्हें स्कूल के मुख्य द्वार पर या किसी अन्य विशिष्ट/सुगम स्थान पर रखा जा सके। इसके साथ ही सभी कक्षाओं में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में संकेत होने चाहिए।
- विद्यालय की आपातकालीन और निकासी योजना भी ब्रेल लिपि में होनी चाहिए।
- किसी भी आपात स्थिति में मदद करने के लिए शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को उनकी सीमाओं और प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

14. बच्चों को पानी और डूबने के खतरों से बचाने के उपाय सम्बन्धी निर्देश :–

- यदि परिसर में कुएं और तालाब मौजूद हैं, तो उन्हें ढकने के लिए बाउंड्री वॉल (सुरक्षात्मक दीवार) और लोहे की ग्रिल लगवानी चाहिए और विद्यार्थियों की गतिविधियों को इस क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।
- बच्चों को विद्यालय परिसर के नजदीक उपस्थित नदी, नहर, तालाब और रेलवे ट्रैक की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- बच्चों को हेड टैंक के ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए ओवरहेड टैंक की सीढ़ियों पर बाड़ लगा दी जानी चाहिए। .
- स्टाफ द्वारा समूह बनाकर बच्चों की गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखी जानी चाहिए
- विद्यालय समय के दौरान स्कूल परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- विद्यालय से छात्र–छात्राओं की अनाधिकृत अनुपस्थिति के व्यवहार का मूल कारण पता लगाया जाना चाहिए तदुपरांत माता–पिता को सूचित किया जाना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए।
- विद्यालय में मनाए जाने वाले समारोह/त्यौहारों के लिए आवश्यक सावधानियाँ और व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। कुंए अथवा जल स्त्रोतों के पास जाने हेतु विद्यार्थियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

15. संरचनात्मक खतरों से सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश :–

- निर्माण क्षेत्र में विद्यार्थियों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए बैरिकेड्स और साइनबोर्ड लगाए जाने चाहिए।
- विद्यार्थियों को किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाने के लिए जल भराव स्रोतों के निर्माण स्थानों को ढकना चाहिए।

16. त्योहारों के समय की जाने वाली सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश :–

- समारोह/त्यौहारों/उत्सवों के दौरान परिसर के अंदर विद्यार्थियों की आवाजाही के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए।
- निर्धारित कार्य योजना के अनुसार ही गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जानी चाहिए।
- इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यार्थी जोखिम भरे बिंदुओं के आसपास न घूमें।
- किसी भी जुलूस/सभा हेतु विद्यार्थी को विद्यालय परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सभी स्टाफ सदस्यों को उचित जानकारी दी जानी आवश्यक है।

17. स्कूल परिवहन में सुरक्षा सम्बन्धी निर्देश :–

एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसमें पर्यवेक्षण और विशिष्ट उपायों की आवश्यकता है वह है :– परिवहन सुविधा

A. बस का बाहरी भाग :–

- सभी बसों को एक समान रंग, विशेषकर पीले रंग से रंगा जाना चाहिए और बस के दोनों तरफ विद्यालय का नाम प्रमुखता से लिखा होना चाहिए ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके।
- यदि बस किराए पर ली गई है तो बस के पीछे और सामने **स्कूल बस** लिखा होना चाहिए, **"ऑन स्कूल ड्यूटी"** स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए।
- विद्यालय के टेलीफोन नंबर और किसी भी संबंधित व्यक्ति के टेलीफोन नंबर भी प्रत्येक स्कूल बस में एक प्रमुख स्थान पर साफ–साफ अक्षरों में लिखे जाएंगे।

B. बस के फर्नीचर आदि :–

- बस की खिड़कियों में क्षैतिज ग्रिल और जालीदार तार लगे होने चाहिए।
- बस के दरवाजों पर विश्वसनीय ताले लगे होने चाहिए जिन्हें बंद किया जा सके।
- सभी स्कूल बसों में गति नियंत्रण उपकरण लगे होने चाहिए ताकि वे 40 किमी प्रति घंटे की गति सीमा से अधिक न हो ।
- बस में अग्निशामक यंत्र होना चाहिए।

C. बस में स्टाफ की नियुक्ति :–

- बस में स्टाफ की नियुक्ति से पहले उनका पुलिस सत्यापन करवाया जाना चाहिए।
- बच्चों की देखभाल के लिए बस में एक योग्य परिचर होना चाहिए।
- प्रत्येक स्कूल को एक परिवहन प्रबंधक/समन्वयक नियुक्त करना चाहिए जो विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- आंखों की जांच सहित ड्राइवर की शारीरिक फिटनेस के संबंध में मेडिकल जांच हर साल की जाएगी।

D. बस में सुविधाएं :–

- बस में फस्ट एड बॉक्स होना चाहिए।

- स्कूल बैग को सुरक्षित रखने के लिए सीटों के नीचे या सुविधाजनक जगह होनी चाहिये।
- बसों में अलार्म घंटी/सायरन लगा होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में सभी को सतर्क किया जा सके।

E. <u>परमिट</u> :–

- चालक के पास वैध लाइसेंस और भारी वाहन चलाने का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

F. <u>स्कूलों में व्यवस्थाएं</u> :–

- बच्चों को स्कूल बस से चढ़ाने एवं उतारने की सुरक्षित व्यवस्था होनी चाहिए।
- स्कूल प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसें केवल इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट बस स्टॉप पर और चिह्नित क्षेत्र के भीतर ही रुकें।
- किसी भी व्यक्ति को नशे की हालत में स्कूल बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल अधिकारियों द्वारा इस संबंध में नियमित जांच की जाएगी और उस संबंध में किसी भी संदेह की स्थिति में ऐसे ड्राइवरों का तुरंत चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए और लाइसेंस रद्द करने सम्बन्धी नियमानुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।
- स्कूल बसों के सभी ड्राइवरों को एक विशिष्ट वर्दी पहननी होगी जिसमें उनके नाम अंकित हो।

उपर्युक्त बिन्दुओं के सफल एवं सुचारू प्रबोधन बाबत विभिन्न स्तरों पर दायित्व अग्रांकितानुसार निर्धारित किये जाते हैं :–

<u>विभागीय उच्चाधिकारियों के दायित्व :–</u>

- समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा उक्त दिशा–निर्देशों की पालना बाबत अपने अधीनस्थों को वांछित निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालय एव विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में विभिन्न गतिविधियों/कार्यशालाओं के आयोजन बाबत विभागीय अधीनस्थों को निर्देश जारी करावें।
- समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक अपने क्षेत्राधिकार की समस्त विद्यालयों का निरीक्षण कर जारी उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित करवाते हुए उक्त बाबत समेकित रिपोर्ट तैयार कर सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित करेंगे।
- सभी अधिकारी (पीईईओ से संयुक्त निदेशक) अपने परिक्षेत्र के सभी विद्यालयों का अवलोकन पीईईओ के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सुरक्षा संबंधी मानकों की सुरक्षा संबंधी पुष्टि की जाए। प्रतिवेदन के आधार पर उच्च अधिकारी ऐसे विद्यालयों का विजिट कर समसा अथवा जिला प्रशासन से समन्वय कर सुरक्षा मानक पूर्ण कराएें।
- **पीईईओ के माध्यम से यह भी अवलोकन कराया जाए कि किन विद्यालयों पानी का स्त्रोत (टंकी, टेंक, होद, कुआ आदि है) उसकी स्थिति क्सा है और उनमें से क्षतिग्रस्त अथवा जिनके ढक्कन नही है अथवा खुले है। <u>इसके उपरांत अधिकारी अपने परिक्षेत्र के विद्य</u>**

RajKaj Ref No.: 13714622

<u>ालयों के लिए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके परिक्षेत्र के सभी विद्यालयो का निरीक्षण कर लिया है, वे सुरक्षित है अथवा सुरक्षा मानकों की कमी को दूर कर लिया गया है</u>।

<u>संस्था–प्रधान के दायित्व :–</u>

- उपर्युक्त दिशा–निर्देशों की शत–प्रतिशत पालना सुनिश्चित की जाए।
- सम्बन्धित संस्था–प्रधान द्वारा विद्यालय परिसर में स्थित भवन/ढांचे एवं अन्य निर्माण कार्य का सप्ताह में एक बार गहन अवलोकन कर विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ताकि विद्यालय स्तर पर होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।
- उक्त निरीक्षण के दौरान पायी गयी विसंगतियों के निराकरण हेतु नियमानुसार वांछित कार्यवाही अमल में लायी जाकर, सम्बन्धित भवन/ढांचे को दुरस्त करवाने की कार्यवाही पूर्ण की जाए।
- समस्त संस्था–प्रधानों का दायित्व है कि वह क्षतिग्रस्त भवन/ढांचे से विद्यार्थियों एवं कार्मिकों को दूर रहने हेतु निर्देशित करें तथा उक्त भवन/ढांचे को शीघ्रातिशीघ्र मरम्मत करवाये जाने की कार्यवाही अमल में लाए। इस दौरान विद्यार्थियों एवं कार्मिकों की अन्य सुरक्षा स्थान पर बैठक व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।
- यदि सम्पूर्ण विद्यालय भवन में ही सुरक्षा की विश्वसनीयता आशंकित हो तो पास के अन्य विद्यालय में सम्बन्धित विद्यालय को अन्य पारी में संचालित की जाने सम्बन्धी कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
- विद्यालय भवन में अवस्थित पेयजल टंकियों/टांकों एवं अन्य किसी भी जलस्त्रोतों को खुला ना रखे तथा इसकी नियमित साफ सफाई कर उनके क्षतिग्रस्त भागों को दुरस्त किया जाए।
- विद्यालय में आयोजित किसी भी प्रकार की गतिविधि यथा– प्रार्थना सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, मध्याह्न भोजन इत्यादि के समय विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था सुरक्षित स्थान पर सुनिश्चित की जाए।
- आपदा प्रबंधन विभाग, जयपुर एवं मौसम विभाग द्वारा बर्ती जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में जारी लघु वीडियो बच्चों को दिखाए ताकि वे किसी भी आपदा की स्थिति में स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु आत्मनिर्भर बन सके।
- विद्यालय परिसर में उगी हुई कटिली छाड़ियों को कटवाया जाना सुनिश्चित करे ताकि किसी भी जहरीले जीव का विद्यालय परिसर में उपस्थित न होना सुनिश्चित किया जा सके।
- अगर किसी कक्षा–कक्ष की छत क्षतिग्रस्त है अथवा पानी का रिसाव हो रहा हो तो उक्त स्थिति में कक्षा–कक्ष का उपयोग विद्यार्थियों/स्टाफ की बैठक व्यवस्था हेतु न किया जाए।

- विद्यालय परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो इसलिए छत/छतों एवं नालों की नियमित साफ–सफाई करवाई जाए, साथ ही विद्यालय में अनावश्यक रूप से पड़े मलबे का निराकरण/निपटान करते हुए जलभराव वाले स्थानों पर मिट्टी डलवाये।
- विद्यालय परिसर एवं विद्यालय छत से आने वाले पानी को जल संग्रहण की विभिन्न विधियों के माध्यम से एकत्रित करने की व्यवस्था सुनिश्चित कर वृक्षारोपण महा अभियान के अन्तर्गत लगाये गये पौधों तक जल पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।
- राज्य के वह जिले जहां मानसून अत्यधिक सक्रिय हैं, वहां आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी विद्यालय अवकाश सम्बन्धी निर्देशों/आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
- तालाबों, बावड़ियों, झरनों, एनीकेट्स, झीलों एवं जलभराव वाले स्थानों से दूर रहने बाबत यहां किसी भी प्रकार के शैक्षिक भ्रमण अथवा पिकनिक का आयोजन नहीं किया जाए।
- शैक्षिक संस्थानों/निजी विद्यालयों में बेसमेन्ट में छोटे बच्चों को न बिठाया जाए, बेसमेन्ट में जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाए।
- मानसून/अत्यधिक वर्षा के कारण सड़के अक्सर क्षतिग्रस्त एवं जलमग्न हो जाती है, उक्त स्थिति के मध्यनजर बाल–वाहिनी संचालकों को वाहन के नियन्त्रित एवं सुरक्षित संचालन बाबत निर्देश प्रदान किये जाए।
- किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय आपत स्थिति से निपटने के लिए निकटतम अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र की सूची बनाकर विद्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाए।
- अगर प्रार्थना–सभा स्थल पर जलभराव हो तो प्रार्थना–सभा कक्षा–कक्ष में ही आयोजित की जानी सुनिश्चित की जाए।

<u>शिक्षकों के दायित्व :–</u>

- विद्यालय समय से पूर्व एवं पश्चात् विद्यालय का निरीक्षण कर विद्यार्थियों एवं विद्यालय सुरक्षा के सम्बन्ध में आवश्यक निरीक्षण कर लेना।
- पी.टी.एम./बैठकों में विद्यार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश प्रदान करना।
- कक्षा–कक्ष के क्षतिग्रस्त होने से सम्बन्धित सूचना तत्काल संस्था–प्रधान को उपलब्ध करावें।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति के सम्बन्ध में संवेदनशीलता रखना, अनुपस्थित विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जानकारी रखना।
- समय–समय पर बच्चों के बस्ते की निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना की बच्चे द्वारा किसी भी प्रकार का धारदार हथियार एवं धारदार सामग्री यथा चाकू, प्रकार, ब्लेड इत्यादि विद्यालय परिसर में नहीं लाया गया है।

<u>अभिभावकों के दायित्व :–</u>

- बच्चों से निरन्तर संवाद स्थापित कर विद्यालय से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करना।
- स्वच्छ भोजन एवं पेयजल की व्यवस्था करना।
- विद्यालय समय में विद्यालय परिसर को न त्यागने के लिए निर्देशित करना।
- मादक पदार्थों के सेवन से बचने के लिए निरन्तर निगरानी एवं निर्देश प्रदान करना।
- त्योहरों के समय बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना।
- स्कूल बस पर चढ़ाते और उतारते समय बस के रूकने और चलने का ध्यान रखना एवं बच्चों को भी उक्त समय सावधानी बर्तने के निर्देश प्रदान करना।
- संस्था–प्रधान, स्कूल बस चालक/परिचालक सम्बन्धित वाहन/मोबाईल नम्बर अपने पास सुरक्षित रखना।
- बच्चे के स्कूल बैग की नियमित जांच करना।
- यातायात नियमों के अन्तर्गत निर्धारित आयु सीमा से कम आयुवर्ग के बच्चों को वाहन चालन की अनुमति प्रदान नहीं करना।
- बच्चें के व्यवहार परिवर्तन पर विशेष ध्यान रखते हुए सदैव शिक्षण के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करना।
- मौसम परिवर्तन एवं मौसमी बीमारियों से बच्चे की सुरक्षा करना।
- सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के उपरान्त ही बच्चों का विवाह करना।

उल्लिखितानुसार उपर्युक्त दिशा–निर्देशों/बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु आप अपने अधीनस्थ विभागीय अधीकारियों एवं संस्था–प्रधानों को निर्देश जारी कर पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(आशीष मोदी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (गुप–5) विभाग, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (जरिये ई–मेल)।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर (जरिये ई–मेल)।
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करवाये जाने बाबत (जरिये ई–मेल)।

RajKaj Ref No.: 13714622

8. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा (जरिये ई–मेल)।
9. सहायक निदेशक (पीएसपी), कार्यालय हाजा (जरिये ई–मेल)।
10. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत (जरिये ई–मेल)।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर। (जरिये ई–मेल)
12. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। (जरिये ई–मेल)
13. मेनेजर, गुरूनानक भवन संस्थान, जयपुर (जरिये ई–मेल)।
14. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
15. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ (जरिये ई–मेल)।
16. समस्त पीईईओ/यूसीईईओ।
17. समस्त संस्था–प्रधान।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified

Digitally Signed by Ashish Modi
Designation : Director
Date :27-02-2025 01:03:12